राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड

(पूर्व राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड)
राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर – 302018
www.rsmssb.rajasthan.gov.in दूरभाष नं.–0141–2722520

क्रमांकः प.8(32)प.आ./R.S.S.B./(प्र.अनु.) विविध सी.भ.प./2018/230 दिनांकः 02.03.2019

विज्ञप्ति

कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग(प्राविधिक शिक्षा प्रशिक्षण), राजस्थान के लिए **कनिष्ठ अनुदेशक** के विभिन्न संवर्ग (फिटर/इलेक्ट्रिशयन/कोपा/वेल्डर) के पदों पर भर्ती हेतु बोर्ड के विज्ञापन संख्या 08/2018 दिनांक:25.04.2018 द्वारा एवं उद्योग विभाग के लिए आर्थिक अन्वेषक के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु बोर्ड के विज्ञापन संख्या 03/2018 दिनांक:13.03.2018 द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र आमन्त्रित किये गये थे।

उक्त पदों पर भर्ती हेतु **राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा दिनांकः 23.03.2019 से 26.03.2019 की अवधि में आयोजित की जाने वाली सीधी भर्ती परीक्षाओं का विस्तृत कार्यक्रम** निम्नानुसार होगा :–

क्र. सं.	पद का नाम (जिसके लिए परीक्षा का आयोजन प्रस्तावित है)	प्रस्तावित तिथि	परीक्षा का समय
1.	2.	3.	4.
1.	कनिष्ठ अनुदेशक (फिटर)	23.03.2019	अपरान्ह 03:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक
2.	कनिष्ठ अनुदेशक (इलेक्ट्रिशियन)	24.03.2019	प्रातः 09:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक
3.	कनिष्ठ अनुदेशक (कम्प्यूटर ऑपरेटर एण्ड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट) (कोपा)	24.03.2019	अपरान्ह 03:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक
4.	आर्थिक अन्वेषक (उद्योग विभाग)	25.03.2019	अपरान्ह 03:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक
5.	कनिष्ठ अनुदेशक (वेल्डर)	26.03.2019	अपरान्ह 03:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक

इन परीक्षाओं के लिए ई–प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाईट से डाउनलोड करने की तिथि बाबत् अलग से सूचित कर दिया जावेगा । आवेदक यह सुनिश्चित कर लें कि वे बोर्ड कार्यालय की उक्त विज्ञप्तियों के अनुसार निर्धारित पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता रखते हैं।

परीक्षार्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि परीक्षा केन्द्रों पर नकल एवं प्रतिरूपण की रोकथाम के लिए बहुत ही प्रभावी उपाय किये गये हैं। अतः परीक्षा में नकल/प्रतिरूपण कराने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के किसी झाँसे/बहकावे में नहीं आवें। नकल करने के लिए अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करें। नकल एवं प्रतिरूपण के प्रयास में पकड़े जाने पर आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के साथ आपकी परीक्षा निरस्त होने एवं आगे आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षाओं में भाग लेने से रोक लगने से आपका कैरियर समाप्त हो सकता है।

परीक्षाओं के सम्बन्ध में विभिन्न सोशल मीडिया पर किये जा रहे भ्रामक प्रचार पर विश्वास न करें । बोर्ड द्वारा राज्य स्तरीय प्रतिष्ठित समाचार–पत्रों में एवं बोर्ड की वेबसाईट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर प्रकाशित विज्ञप्ति द्वारा दी गई जानकारी को ही अधिकृत माना जावे। नवीनतम एवं अद्यतन सूचनाओं की जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाईट www.rsmssb.rajasthan.gov.in का नियमित रूप से अवलोकन करें।

(डॉ. बी0 एल0 जाटावत)
अध्यक्ष